



न्यायालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

कमांक / 610 / रीडर / 2014

अलीराजपुर दिनांक 18/9/2014
प्रकरण कमांक 30 / बी-121 / 2013-14

: आदेश :

(आज दिनांक 17/09/2014 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 5.8.2014 को ग्राम रामसिंह की चौकी (सुकड नदी के पास) तहसील अलीराजपुर में सडक दुर्घटना में निम्नानुसार मृतक के वारिशान को आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

क.	मृतक का नाम	वारिशान का नाम	स्वीकृत आर्थिक सहायता
1	लालसिंह पिता दुढला भिलाला निवासी खरखडी	श्रीमति रायलीबाई पति निवासी खरखडी	10,000/-
	कुल (दस हजार रूपये मात्र)		10,000/-

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृतक के वारिशान को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/ एफ-20-21/2007/1/4 भोपाल, दिनांक 25/02/2009 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि कुल रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या -01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीडित व्यक्तियों को तत्काल वितरित की जावे।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक 18/9/2014

पृ0क / 611 / रीडर / 2014

प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (सहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर
- 5 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।
- 6 संबंधित श्री/ श्रीमति..... तहसील एवं जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

६